

अनुदान संख्या 76 – लोक सभा
GRANT No. 76 - LOK SABHA

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged -	115,00	1,07,74	-7,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7,24
स्वीकृत—	Voted-	663,11,00	578,80,80	-84,30,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			77,51,72

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)			
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	66311.00	58559.28	57880.80	-678.48
पु.	R.	-7751.72			

(I) ₹0.07 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹0.07 lakh remained wholly unutilized under two heads.

(II) "संसद" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under "Parliament" -savings occurred under the following heads:-

(का) “लोक सभा – सदस्य” – ₹3262.22 लाख की बचत (₹28750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसए अधिनियम के संशोधन में विलंब होने की वजह से वेतन से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति होने, रेल मंत्रालय से नामे दावे होने, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की खरीद के लिए सांसद द्वारा वित्तीय पात्रता दावे किए जाने एवं विदेशी प्रतिनिधि मंडल द्वारा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) “लोकसभा सचिवालय – सचिवालय” – ₹5963.46 लाख की बचत (₹35366.79 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने सुरक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर में विलंब होने, एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के अपग्रेडेशन किए जाने एवं रेल मंत्रालय से नामे दावे की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें “संसद – लोकसभा सचिवालय – लोकसभा टेलीविजन चैनल” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹845.97 लाख का अधिक व्यय (₹1410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोकसभा टेलीविजन चैनल पर सिग्नेचर कार्यक्रम के प्रोडक्शन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) “Lok Sabha - Members” - saving of ₹3262.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28750.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries owing to delay in amendment of MSA Act, receipt of less medical claims, debit claims from the Ministry of Railways, Financial entitlement claims by MPs for purchase of computer hardware/software and visit of less foreign delegations.

(B) “Lok Sabha Secretariat - Secretariat”- saving of ₹5963.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35366.79 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and allowances, delay in signing of agreement for procurement of security equipments, upgradation of Integrated Security System and receipt of less debit claims from Ministry of Railways.

2. The above savings were partly offset by excess under “Parliament - Lok Sabha Secretariat - Lok Sabha Television Channel” - excess of ₹845.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1410.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards production of signature programme on Lok Sabha Television Channel.